मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

पंजीकरण दिनाँक:	निर्णय दिनाँक:	अवधि:
24/05/17	20/10/20	3 वर्ष, 4 माह, 26 दिन

एम.ए.सी.पी. संख्या- 225 सन 2017

मंगल सिंह उम्र लगभग 38 साल पुत्र लाल सिंह निवासी मकान संख्या 94 महाराजगंज ढेरी, महाराजगंज सेरसा, तहसील मोठ जिला झाँसी

----------याची

प्रति

1. चंद्र कुमार गंगवानी तनय श्री परसराम गंगवानी निवासी 131 ए. रेल नगर रोड जिला जयपुर राजस्थान

..... वाहन स्वामी बस संख्या RJ 03PA 2786

2. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कार्यालय, पी.एस.बी. ब्रांच, 15/291 सिविल लाइन कानपुर अर्बन उत्तर प्रदेश जरिए शाखा प्रबंधक

..... बीमा कंपनी बस संख्या RJ 03PA 2786

3. मोहन प्रसाद पुत्र श्री आर एस प्रसाद निवासी चाल सी वाली रोड गुना मध्य प्रदेश

..... चालक बस संख्या RJ 03PA 2786

----------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता श्री एन.के. गुप्ता
विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री प्रमोद शिवहरे
विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता श्री वी.के. मिश्रा
विपक्षी संख्या 3 के अधिवक्ता श्री जे.एस. अहिरवार

निर्णय

याची की ओर से यह याचिका मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं को आई चोटों के कारण मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 एवं 140 के अंतर्गत 28 लाख 75 हजार रुपए प्रतिकर मय 10% वार्षिक ब्याज हेतु प्रस्तुत की गई है।

2. याचिका के अनुसार संक्षेप मे कथानक यह है कि दिनाँक 19.3.2017 को याची अहमदाबाद से झाँसी बस संख्या RJ 03PA 2786 से वाहन स्वामी से संपर्क करने के लिए आ रहा था और अहमदाबाद में अपने मित्र को देखने के लिए गया था। याची बस में गेट के पास वाली सीट पर बैठा हुआ था तथा सीट के आगे कोई लोहे का रॉड नहीं लगा हुआ था। बस का चालक बस को तेजी व लापरवाही से चला रहा था तथा बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर बस के अगले पहिए का एक्सल टूट जाने के कारण बस का बैलेंस बिगड़ गया तथा बस असंतुलित होकर कच्ची खाई में चली गई और बस पलट गई जिससे याची बस के गेट से नीचे गिरा और उसके पैर पर पहिया से दब जाने से घुटने के नीचे से काट दिया तथा बाएं पैर में पिंडली के ऊपर चोट लगी तथा पैर बुरी तरह कुचल जाने के कारण पैर को ऑपरेशन द्वारा घुटने के ऊपर से काट दिया गया तथा याची का पैर कट जाने के कारण याची ड्राइवरी करने के योग्य नहीं रहा। दुर्घटना की रिपोर्ट थाना कैथून जिला कोटा ग्रामीण में दिनाँक 20.03.2017 को 7:25 मिनट पर लगभग दर्ज कराई गई। इस दुर्घटना को तार बाबू व बस में उपस्थित अन्य व्यक्तियों ने देखी। याची पेशे से ड्राइवर है तथा याची के पास वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है तथा याची का दुर्घटना में बांया पैर कट जाने के कारण ड्राइवरी के काम से वंचित हो गया। याची पर याची की पत्नी के अलावा याची की तीन पुत्रियों जो याची पर निर्भर हैं, आय का साधन समाप्त हो जाने के कारण याचिका परिवार बर्बाद हो गया। याची के पास न तो कोई खेती की आमदनी है और ना ही आमदनी का अन्य कोई साधन है याची पूर्ण रूप से अपनी नौकरी पर निर्भर था। याची को ड्राइवरी के काम से मासिक ₹10,000 की आमदनी थी।

3. विपक्षी संख्या 1 की ओर से प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है जिसमें दुर्घटना को स्वीकार करते हुए यह अभिकथन किए गए हैं कि यह हादसा इत्तफाकिया हुआ था। बस का ड्राइवर मोहन प्रसाद अनुभवी चालक है। बस का अचानक एक्सेल टूट जाने के कारण दुर्घटना हुई है। उनकी बस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित है।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.10.20 18:43:15 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

4. विपक्षी संख्या 3 की ओर से प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्होंने दुर्घटना को स्वीकार करते हुए यह अभिकथन किया गया है कि याची ने ना तो कोई विकलांगता सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है और न ही आय के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। यह भी अभिकथन किया गया है कि बस के सभी कागजात ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन परमिट बीमा फिटनेस वैध थे।

5. विपक्षी संख्या दो बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर में मुख्यतः यह अभिकथन किए गए हैं कि कथित दुर्घटना घटित नहीं हुई है। वाहन स्वामी द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 134 सी के अनुपालन में दुर्घटना के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। बीमा कंपनी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 170 के अनुसार उन सभी अभिवचनों पर गुण दोष के आधार पर प्रतिवाद करने का अधिकारी है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत बीमा कंपनी का एक सीमित दायित्व है। यदि वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत चलाई जा रही थी तो बीमा कंपनी का कोई दायित्व नहीं बनता है। वाहन स्वामी बस संख्या RJ 03PA 2786 द्वारा धारा 64 व्ही. बी. इंश्योरेंस एक्ट का अनुपालन नहीं किया गया है तो पॉलिसी शून्य होगी और बीमा कंपनी का कोई दायित्व क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का नहीं बनता है। यह भी अभिकथन किया गया है कि याची द्वारा स्वयं का ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न लिखित वाद बिंदु विरचित किए गए-

1. क्या घटना दिनाँक 19.03.2017 को जब याची अहमदाबाद से झाँसी बस संख्या RJ 03PA 2786 से वाहन स्वामी से संपर्क करने के लिए आ रहा था और अहमदाबाद में अपने मित्र को देखने के लिए गया था, याची बस में गेट की पास वाली सीट पर बैठा हुआ था तथा सीट के आगे कोई लोहे का रॉड नहीं लगा हुआ था, बस का चालक बस को तेजी व लापरवाही से चला रहा था तथा बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर बस का अगला पहिया का एक्सल टूट जाने के कारण बस का बैलेंस बिगड़ गया तथा बस असंतुलित होकर कच्ची खाई में चली गई और पलट गई, उसका पैर बुरी तरह कुचल गया और ऑपरेशन के द्वारा घुटने को ऊपर से काट दिया गया था?

2. क्या दुर्घटना दिनाँक 19.03.2017 को प्रश्नगत बस संख्या RJ 03PA 2786 के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था?

3. क्या प्रश्न गत वाहन दुर्घटना दिनाँक 19.03.2017 को विपक्षी संख्या दो के यहाँ विधिवत बीमित थी?

4. क्या याची प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं यदि हाँ तो कितनी व किससे?

7. याचिका के निस्तारण के लिए पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याची की ओर से-

अभिलेखीय साक्ष्य-

1. याची द्वारा फेहरिस्त सबूत 7 सी1 के माध्यम से 8 सी1/1 लगायत 10 सी1/2 प्रपत्रों को दाखिल किया गया है जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, डिस्चार्ज सार्टीफिकेट, रजिस्ट्रेशन स्लिप, व आधार कार्ड की छाया प्रतियॉ शामिल हैं।

2. याची द्वारा फेहरिस्त सबूत 28 सी1 के माध्यम से 29 सी1/1 लगायत 29 सी1 व 30 बी प्रपत्रों को दाखिल किया गया है जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट, जमानत आदेश, नक्शा नजरी, मेडिकल रिपोर्ट, एक्स रे रिपोर्ट, बस के तकनीकी परीक्षण का आदेश, बस का सुपुर्दगीनामा की प्रमाणित प्रतियॉ व विकलांगता प्रमाण पत्र की असल प्रति शामिल हैं।

3. याची द्वारा फेहरिस्त सबूत 39 सी1/1 ता 39 सी1/4 के माध्यम से इलाज व दवाइयों के अनेंक बिलों की मूल जिनमें कुल 55 प्रपत्र शामिल हैं, दाखिल किये गये हैं।

4. याची द्वारा फेहरिस्त सबूत 96 सी1/1 के माध्यम से 97 सी1 लगायत 98 सी1 प्रपत्रों को जिनमें विकलांगता प्रमाण पत्र व याची की सेवा का परिचय पत्र शामिल हैं, दाखिल किये गये हैं।

5. याची द्वारा फेहरिस्त सबूत 101 सी1/1 ता 101 सी1/3 के माध्यम से इलाज के अनेंक बिलों की मूल जिनमें कुल 46 प्रपत्र शामिल हैं, दाखिल किये गये हैं।

6. याची द्वारा फेहरिस्त सबूत 106 सी1 के माध्यम से इलाज के अनेंक पर्चों की मूल व सत्यापित प्रतियाँ व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ शामिल हैं, दाखिल किये गये हैं।

7. याची द्वारा फेहरिस्त सबूत 112 सी1/1 के माध्यम से इलाज के चार किता दवाइयों के बिलों की मूल, आधार कार्ड गवाह दिलीप शर्मा व याची का डी.एल. की छाया प्रति शामिल हैं, दाखिल किये गये हैं।

मौखिक साक्ष्य-

पी.डब्लू.1 याची मंगल सिंह, पी.डब्लू.2 दुर्गा प्रसाद तथा पी.डब्लू.3 चक्षुदर्शी दिलीप शर्मा

विपक्षी सं. 1 की ओर से-

8. विपक्षी सं. 1 की ओर से फेहरिस्त सबूत 16 सी1 के माध्यम से बस संख्या RJ 03PA 2786 के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा पॉलिसी, ड्राइविंग लाइसेंस व परमिट की छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की गई हैं।

9. अन्य किसी प्रकार की ओर से कोई अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

8. मैंने याची की ओर से वर्चुअल कोर्ट मे उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

9. <u>निस्तारण बाद बिंदु संख्या 1</u>

घायल याची पी.डब्लू. 1 ने अपने मौखिक साक्ष्य में न्यायाधिकरण के समक्ष शपथ पर याचिका के अभिकथनों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि वह बस संख्या RJ 03PA 2786 से दिनाँक 19.03.2017 को अहमदाबाद से झाँसी आ रहा था कि ताखेड लाडपुर के पास बस चालक द्वारा बस को तेजी व लापरवाही से चलाए जाने के कारण बस का अगला पहिए का एक्सल टूट जाने के कारण बस का बैलेंस बिगड़ गया। बस असंतुलित होकर खाई में गिर पड़ी। वह बस में गेट के पास सीट पर बैठा था। सीट अगले गेट (पहले वाले) दरवाजे के पास थी। बस पलटने से उसके डेढ़े पैर से पिछला पहिया निकला जिससे दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ। उसका डेढ़ा पैर घुटने के ऊपर से इलाज के दौरान काट दिया गया तथा सीधे पैर में फ्रैक्चर हुआ इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई तात्विक विसंगति स्पष्ट नहीं हुई है जिससे इस साक्षी की सत्यता पर संदेह उत्पन्न हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यापित प्रति प्रपत्र संख्या 29 सी1/1 से स्पष्ट होता है कि दुर्घटना दिनाँक 19.03.2017 को 10:00 बजे रात्रि मे हुई है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनाँक 20.03.2017 को प्रातः 7:23 पर दूसरे चुटैल यात्री तार बाबू द्वारा दर्ज कराई गई है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई विलंब नहीं है। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी बस पलटने के कारण याची मंगल सिंह का बांया पैर बस के नीचे दब जाने से घुटने के नीचे से कट जाने का उल्लेख है। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में बस के चालक मोहन द्वारा बस को लापरवाही से चलाने का भी उल्लेख है। विवेचनाधिकारी द्वारा बस चालक मोहन प्रसाद नागर के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। बस के हेल्पर पी.डब्लू.3 दिलीप शर्मा ने भी चालक द्वारा बस को तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण बस का एक्सल टूटने पर बैलेंस बिगड़ जाने के कारण बस का खाई में गिरने तथा याची का एक पैर घटनास्थल पर ही कट जाने का साक्ष्य दिया है। इस साक्षी की प्रति परीक्षा से ऐसी कोई तात्विक विसंगति स्पष्ट नहीं हुई है जिससे इस साक्षी की विश्वसनीयता पर संदेह होता है। याची बहस के समय न्यायालय में उपस्थित आया है। उसका बायां पैर घुटने से ऊपर कटा हुआ है। इस प्रकार यह पूर्ण रूप से साबित होता है कि बस संख्या RJ 03PA 2786 के चालक मोहन द्वारा बस को तेजी व

लापरवाही से चलाने के कारण बस का एक्सल टूट गया जिससे बस पलट गई और याची मोहन सिंह का बाया पैर घुटने से नीचे इस प्रकार घायल हुआ कि इसे बाद में चिकित्सकों द्वारा घुटने से ऊपर काट दिया गया। तदनुसार वाद बिंदु संख्या एक निस्तारित किया जाता है

10. निस्तारण बाद बिंदु संख्या 2

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी सं. 1 की ओर से प्रपत्र सं. 19 सी1 मोहन प्रसाद के ड्राईविंग लाइसेन्स की छाया प्रति दाखिल की गयी है जिसका विवरण MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS की वेबसाइट पर निम्नवत है-

Details Of Driving License: MP08R20150036471

Current Status:	ACTIVE
Holder's Name:	MOHAN PRASAD
Date Of Issue:	23-May-2005
Last Transaction At:	ADDL.RTO,GUNA ARTO
Old / New DL No.:	MP08 20150003647

Driving License Validity Details

Non-Transport	**From:** 07-Aug-2015	**To:** 30-Apr-2031	
Transport	**From:** 07-Aug-2015	**To:** 06-Aug-2018	
Hazardous Valid Till:	NA	**Hill Valid Till:**	NA

Class Of Vehicle Details

COV Category	Class Of Vehicle	COV Issue Date
TR	TRANS	07-Aug-2012
NT	LMV	07-Aug-2012
NT	MCWG	07-Aug-2012

उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि दुर्घटना दिनाँक 19.03.2017 को चालक मोहन प्रसाद के पास ट्रान्सपोर्ट वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था। इस अनुज्ञप्ति का खंडन विपक्षी सं. 2 बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। आरोपपत्र चालक मोहन प्रसाद के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना की दिनाँक व समय पर प्रश्नगत बस संख्या RJ 03PA 2786 के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था। अत: वाद बिन्दु सं. 2 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

11. निस्तारण बाद बिंदु संख्या 3

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी सं. 1 की ओर से प्रपत्र सं. 18 सी1 प्रश्नगत बस संख्या RJ 03PA 2786 की बीमा पॉलिसी की छाया प्रति दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत ट्रक का बीमा दिनाँक 18.08.2016 से 17.08.2017 तक वैध एवं प्रभावी है। इस बीमा पॉलिसी का खंडन विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। इसके अतिरिक्त विपक्षी सं. 1 की ओर से प्रपत्र सं. 20 सी1 प्रश्नगत बस के परमिट 04.11.2016 से 03.11.2017 तक की छाया प्रति भी दाखिल की गयी है, जिनका खण्डन भी विपक्षी सं. 2 बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है। घटना दिनाँक 21.06.2018 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना की दिनाँक व समय पर प्रश्नगत बस संख्या RJ 03PA 2786 विपक्षी सं. 2 नेशनल इंश्योरेन्स कं. लि. से बीमित था। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

12. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4

वाद बिन्दु सं. 1 के निस्तारण से यह साबित है कि दिनाँक 19.03.2017 को बस का चालक बस को तेजी व लापरवाही से चला रहा था जिसके कारण बस का अगला पहिया का एक्सल टूट गया जिससे बस का बैलेंस बिगड़ गया तथा बस असंतुलित होकर कच्ची खाई में चली गई और पलट गई, जिससे याची का पैर बुरी तरह कुचल गया और ऑपरेशन के द्वारा घुटने को ऊपर से काट दिया गया था। अब प्रश्न यह है कि याची किस विपक्षी से और कितनी क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी है? चूंकि वाद बिन्दु संख्या 2 व 3

सकारात्मक रूप से निर्णीत किये हैं अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. 2 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

13. <u>प्रतिकर की गणना-</u>

पी.डब्लू. 1 जो कि हितबद्ध साक्षी है ने स्वयं की आय ट्रक चालक के रूप मे प्रतिमाह ₹ 10,000 बताई है किंतु आय के सम्बन्ध में कोई स्वतन्त्र मौखिक या प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। याची के पास भारी वाहन की चालन अनुज्ञप्ति होने मात्र ही से याची को चालक के रूप मे या कुशल श्रमिक के रूप मे नियोजित नही माना जा सकता है। इन परिस्थितियों में नोशनल आय को संज्ञान में लेना ही न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008 - SC) : MANU/SC/7368/2008 मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018 – ALLHC) : MANU/UP/2954/2018 मे माननीय उच्च न्याालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए ₹200 प्रतिदिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत मे असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। वास्तव मे कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। माह में औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार मृतक की कल्पित आय (Notional Income) ₹165 निर्धारित की जाती है।

14. पी.डब्लू. 1 ने अपनी आयु 38 वर्ष बतायी है याची के आधार कार्ड प्रपत्र संख्या 10 सी1/2 व चालन अनुज्ञप्ति प्रपत्र संख्या 112 सी1/6 पर जन्म तिथि 01.01.1977 अंकित है जिसके अनुसार दुर्घटना के दिनांक को याची की आयु 40 वर्ष 2 माह 18 दिन आती है। पी.डब्लू. 1 ने स्वयं पर पत्नी व तीन अवयस्क बच्चों की निर्भरता बतायी है। पत्रावली पर विकलांगता प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रपत्र संख्या 39 बी प्रस्तुत किया गया है जिसे पी.डब्लू. 2 दुर्गा प्रसाद वरिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी झाँसी द्वारा साबित किया गया है। यह विकलांगता प्रमाण पत्र तीन चिकित्सकों के पैनल जिनमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी झाँसी भी शामिल हैं के द्वारा जारी किया गया है जिसमें याची को 85% की विकलांगता का उल्लेख किया गया है। मेरे विचार से अकुशल श्रमिक वर्ग के व्यक्ति के एक पैर का घुटने से ऊपर कट जाने पर फंक्शनल डिसेबिलिटी 90% से कम की नहीं होनी चाहिए अतः विकलांगता का प्रतिशत 90 निर्धारित किया जाता है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 - SC) : MANU/SC/1366/2017 के आलोक मे अनुसार 14 का गुणक, प्रयोज्य है व विधि व्यवस्था Pappu Deo Yadav vs. Naresh Kumar and Ors. (17.09.2020 - SC) : MANU/SC/0696/2020 के आलोक मे विकलांगता के मामलों मे भी 40-50 आयु वर्ग के लिए 25% भविष्य प्रत्याशा की वृद्धि निर्धारित की जाती है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया गया है कि याची द्वारा ₹2,46,525 के बिल प्रस्तुत किए गए हैं जिनके सापेक्ष बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि उनके अन्वेषक द्वारा ₹1,60,000 के बिलों का सत्यापन कराया गया है। शेष बिलों के बारे में बीमा कम्पनी बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया गया है कि वे बेनामी हैं। मैंने उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत बिलों की लिस्ट का अवलोकन किया। बीमा कंपनी के अन्वेषक द्वारा प्रस्तुत सत्यापित बिलों की लिस्ट तर्कसंगत रीति से तैयार की गई है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि कौन से बिल किस कारण से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है जबकि याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बिलों का जो योग प्रस्तुत किया गया है उसमें यह भी नहीं दर्शाया गया है कि कौन सा बिल किसके नामे है। अतः मेरे विचार से बीमा कंपनी द्वारा सत्यापित कराए गए बिलों की धनराशि ₹1,61,629 इलाज पर हुए व्यय के रूप में स्वीकार कर लिए जाने चाहिए। इलाज हेतु आवागमन व सहायक पर व्यय के लिए लमसम ₹50,000, पुष्टाहार पर व्यय हेतु लमसम ₹15,000 व मानसिक कष्ट के लिए लमसम ₹50,000 दिलाया जाना न्यायोचित होगा।

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	165	30	12	59400
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			25	14850
स्वयं पर खर्च (भाग में)			0	
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				74250
गुणक			14	1039500
विकलांगता (प्रतिशत में)			90	935550
चिकित्सा व्यय			161629	1201129
इलाज हेतु आवागमन व सहायक पर व्यय			50000	1251129
पुष्टाहार पर व्यय			15000	1266129
मानसिक कष्ट के मद मे			50000	1316129
कुल प्रतिकर				**1316129**

इस प्रकार प्रतिकर की कुल धनराशि ₹13,16,129 होती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 - SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. (17.12.2009 - SC) : MANU/SC/1949/2009 व M.R. Krishna Murthi vs. The New India Assurance Co. Ltd. and Ors. (05.03.2019 - SC) : MANU/SC/0321/2019 के आलोक मे प्रतिकर धनराशि की 3 वर्ष के लिए एन्युटी की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 4 निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याची की याचिका विपक्षी सं. 1 व 2 के विरुद्ध संयक्त व प्रथक-प्रथक दायित्व के आधार पर प्रतिकर धनराशि ₹13,16,129 (तेरह लाख सोलह हजार एक सौ उन्नतीस) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। क्षतिपूर्तिकर्ता के रूप मे विपक्षी संख्या 2 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर प्रतिकर की उक्त धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. 3671000101192489 IFSC- PUNB0367100 में RTGS/NEFT के माध्यम से कर दें। प्रतिकर धनराशि का 75% भाग किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 3 वर्ष की एन्युटी के लिए निवेशित की जाएगी तथा शेष 25% भाग याची अपने खाते में इलेक्ट्रॉनिक मोड से स्थानांतरित किए जाने पर प्राप्त करेंगे। बीमा कंपनी द्वारा प्रतिकर धनराशि को इलेक्ट्रॉनिक मोड से स्थानांतरित करते समय याचिका संख्या का संदर्भ देते हुए ट्रांजैक्शन संख्या व नाम बनाम की सूचना इस न्यायाधिकरण को po@mactjhansi.in व chandrodayk121968@up.gov.in ई-मेल के माध्यम से भेजी जाए।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 20.10.2020

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले वर्चुअल न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 20.10.2020

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी